



कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा जिला- महासमुन्द छ



दूरभाष 07707-242612

Email- BEOBGBR@GMAIL-COM

क्र./ 778/ म.भो./ पी.एफ.एम.एस./ 2021-22
प्रति,

बागबाहरा दिनांक 14/09/2021

जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द छ.ग.

विषय :- मध्यान्ह भोजन अंतर्गत सर्वर में बचत राशि का समर्पण करने बाबत।


संदर्भ :- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक/3391/ म.भो./ पी.एफ.एम.एस./ 2021-22
महासमुन्द दिनांक 06/09/2021

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन कुकिंग कास्ट एवं रसोईया मानदेय की राशि सर्वर में बचत राशि का समर्पण हेतु निर्धारित प्रपत्र में बजटशीर्ष वार चाही गई है।

अतः जानकारी निर्धारित प्रपत्र में बजटशीर्ष वार तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

क्र.	बजटशीर्ष	जिला का नाम	विकासखण्ड का नाम	समर्पित आबंटन
1	27-2202-01-112-0701-5169-02-004	महासमुन्द	बागबाहरा	2950000.00
2	27-2202-01-112-0701-5169-25-011			0.00
3	27-2202-01-112-0701-6933-02-004			1102500.00
4	27-2202-01-112-0701-6933-25-011			0.00
5	41-2202-01-112-0701-5169-02-004			0.00
6	41-2202-01-112-0701-5169-25-011			0.00
7	41-2202-01-112-0701-6933-02-004			0.00
8	41-2202-01-112-0701-6933-25-011			0.00
9	64-2202-01-112-0701-5169-02-004			0.00
10	64-2202-01-112-0701-5169-25-011			3501250.00
11	64-2202-01-112-0701-6933-02-004			0.00
12	64-2202-01-112-0701-6933-25-011			4234542.00
योग				12339542-00

अक्षरी - एक करोड़ तेईस लाख उनचालीस हजार पांच सौ बियालीस रूपये मात्र।


विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
Block Education Officer
Bagbahara, District - Mahasamund (C.G.,
बागबाहरा

-: संचालनालय लोक शिक्षण :-
इन्द्रावती भवन ब्लाक सी प्रथम तल
छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक / 770 / बजट / पी०एफ०एम०एस० / 2021-22
प्रति,

नवा रायपुर दिनांक 06/09/2021


सर्व जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय :- मध्याह्न भोजन अंतर्गत राशि का समर्पण करने यावत्।
संदर्भ - 1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का पत्र क्रमांक F.No.1(13) PFMS/FCD/2020] date 23.3.2021 & 14.4.2021
2. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 245/पी.एफ.एम.एस./ब-4/चार दिनांक 22.06.2021

- - - 000: - - -

विषयांतर्गत भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के संदर्भित आपन द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया 01 जुलाई 2021 से लागू की गई है। पी.एफ.एम.एस. के क्रियान्वयन की (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया) संशोधित प्रक्रिया हेतु जिला एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों को जारी आवंटन का समर्पण निम्न बजटशीर्ष अनुसार तीन दिवस के भीतर अनिवार्यतः किया जावे।

क्र.	बजटशीर्ष	जिला का नाम	विकास खण्ड का नाम	समर्पित आवंटन
1	27-2202-01-112-0701-5169-02-004			
2	27-2202-01-112-0701-5169-25-011			
3	27-2202-01-112-0701-6933-02-004			
4	27-2202-01-112-0701-6933-25-011			
5	41-2202-01-112-0702-5169-02-004			
6	41-2202-01-112-0702-5169-25-011			
7	41-2202-01-112-0702-6933-02-004			
8	41-2202-01-112-0702-6933-25-011			
9	64-2202-01-112-0703-5169-02-004			
10	64-2202-01-112-0703-5169-25-011			
11	64-2202-01-112-0703-6933-02-004			
12	64-2202-01-112-0703-6933-25-011			
	योग			



Handwritten signature and date:
Moom
6/9/21

Handwritten signature:
Janta

वित्त नियंत्रक
(एम.आई.एस यूजर)
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर
क्रमशः 02 पर

पुष्टांकन क्रमांक / 779 / वजट / पी0एफ0एम0एस0 / 2021-22 नवा रायपुर दिनांक / / 2021
प्रतिलिपि :-

1. राचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर।
2. उप/सहायक संचालक(स्थानीय) की ओर सूचनार्थ।

वित्त नियंत्रक
(एम.आई.एस यूजर)
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द, (छ.ग.)




फोन नम्बर-07723-223110

Email- Id. rmsa.mahasamund@gmail.com

पृ. क्रमांक / 3391 / म.भो. / पी.एफ.एम.एस. / 2021-22
प्रतिलिपि :-

महासमुन्द, दिनांक 6.09.2021

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय रायपुर लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि, उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार कार्यवाही 02 दिवस में पूर्ण कर इस कार्यालय को अवगत करावें।


जिला शिक्षा अधिकारी
महासमुन्द